Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 3, May-2018, ISSN 2230-7540

# राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में भारत - श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध: एक विश्लेषण

**Dr. Somesh Gunjan***

(M.A., PhD, Subject-Political Science) L.N.M.U. Darbhanga, Bihar

***सारांशिका:-*** *श्रीलंका भारत के समुद्री सीमा से सटा हुआ अत्यन्त निकटस्थ भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है। प्राचीन काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक संबंध रहे हैं। भारतीय मूल के सिंधी, गुजराती, पारसी और तमिल बहुल व्यक्ति श्रीलंका के आर्थिक-सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में अपनी महती सहभागिता सुनिश्चित करते रहे हैं। भारतीय मूल के लगभग 10,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और श्रीलंका की आर्थिक-सामाजिक ढाँचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक सम्पर्क और समन्वय का एक लम्बा इतिहास रहा है और साथ ही ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रभुत्व का समान अनुभव भी रहा है। अतएव दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होना भी स्वाभाविक ही था। विचारों मे समानता और तटस्थता की नीति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर भी दोनों राष्ट्र कई पहलूओं से महत्वपूर्ण हैं। सन् 1948 में श्रीलंका के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने के बाद दोनों राष्ट्रों के आपसी द्विपक्षीय संबंध कुछ एक दशकों को छोड़कर कई उतार-चढ़ाव के बावजूद सामान्य रहे हैं। सन् 1980 तक दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध पूर्ववत बने रहें, किन्तु 1980 के उत्तरार्द्ध में कुछ गंभीर और संवेदनशील मुद्दों के कारण द्विपक्षीय संबंधों में अविश्वास का माहौल उत्पन्न होने लगे। 31 अक्तूबर 1984 को राजीव गांधी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद एक बार पुनः संबंधों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया चली। कई महत्वपूर्ण समझौते, संधि और आपसी करार के द्वारा माधुर्य संबंधों का मार्ग प्रशस्त किया गया।*

----------X----------

अतएव प्रस्तुत शोध आलेख में मुख्य रूप से प्रधानमंत्रित्वकाल में राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण आयामों को जानना समीचीन होगा। अध्ययन के क्रम में पूर्ववत्ती सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं का भी अवलम्बन किया जायेगा।

**अध्ययन प्रविधि:-**

प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से वर्णन और विश्लेषण पर आधारित होगा संकलित तथ्य मुख्य रूप से प्रधानमंत्रित्वकाल में राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्यीकरण करने की दिशा में किए गए कूटनीतिक प्रयासों और मूल्यांकन से संबद्ध होगा। इसके साथ दोनों राष्ट्रों के पूर्ववत्ती सरकार द्वारा इस दिशा में निर्णीत और सुझाये गए आयामों का भी विश्लेषण किया जायेगा।

**परिचय:-**

भारत और श्रीलंका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अत्यन्त निकट हैं। दोनों ब्रिटिश उपनिवेश राष्ट्र रहे हैं और लगभग एक ही समय स्वतंत्र भी हुए है। उस समय संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभक्त था और प्रत्येक गुट भारत और श्रीलंका जैसे एशियाई उदयीमान राष्ट्रों को अपनी ओर संगठित करने के लिए प्रयासरत था। किन्तु, इनसे इतर इन नवोदित राष्ट्रों ने अपनी दिशा और दशा को स्वयं आपसी सहयोग और सामर्थ से तय करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। ताकि वैश्विक पटल पर अपनी एक स्वतंत्र और समृद्ध छवि प्रस्तुत की जा सके।

**बाण्डुंग सम्मेलन, 1955:-**

अप्रैल, 1955 में एशिया और अफ्रिका के 29 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के बीच इंडोनेशिया के बाण्डुंग में एक सम्मेलन हुआ। जिसमें नवोदित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के बीच आपसी समझौते मे यह तय किया गया कि वैश्विक गुटों से पृथक ये राष्ट्र

www.ignited.in

अपनी आर्थिक विकास के लिए स्वयं अपनी भूमिका तय करेंगे। इस सम्मेलन में ऐसे नवोदित राष्ट्रों ने भाग लिया जो उपनिवेश से स्वाधीनता प्राप्त की थी। इनमें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, इत्यादि प्रमुख रूप से सहभागी थे। सम्मेलन में राजनीतिक आत्मनिर्णय, सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप और अनाक्रमण जैसे मुद्दों पर परस्पर सहमति बनीं। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग, मानव अधिकारों की सुरक्षा भी पारस्परिक सहमति के मुख्य आयाम थे। इस सम्मेलन में नवोदित राष्ट्रों ने परस्पर यह तय किया कि तीसरी दुनिया के देशों के मध्य समन्वय हो। अतः बाण्डुंग सम्मेलन, 1955 वैश्विक राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में उभरते हुए राष्ट्रों को एक आधार प्रदान किया ।

**भारत-चीन युद्ध, 1962 और श्रीलंका की नीति -**

1955 के बाण्डुंग सम्मेलन में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों परस्पर एवं आपसी सहयोग करने का समझौता किया था। 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय भारत के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका की नीति सकारात्मक रही। इस युद्ध के उपरान्त छः सदस्यीय गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सहयोग से 10 दिसंबर, 1962 को आयोजित कोलंबों सम्मेलन में भारत और चीन संबंधों को पूर्ववत कायम करने के लिए प्रयास किए गए किन्तु यह सफल नहीं हो सका। पुनः श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमति भंडारनायके ने दोनो राष्ट्रों के आपसी संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए पहल शुरू की जिसे भारत ने अक्षरशः स्वीकार किया किन्तु चीन कुछ शत्रतों और सिद्धान्तों के आधार पर वार्ता करने के लिए राजी हुआ। अतएव, भारत और चीन के संबंधों को सामान्य करने और एशिया के इन दो महाशक्तियों केा एक मंच पर लाने की श्रीलंका की कूटनीतिक प्रयास कुछ सीमा तक सफर रहा।

**भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौता 23 मार्च, 1976 :-**

23 मार्च, 1976ई0 को भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री सीमा संबंधी समझौता हुआ और यह शीघ्र ही द्विपक्षीय पुष्टि पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा लागू हो गया। चूकि भारत और श्रीलंका के मध्य केवल समुद्री सीमा है और इसलिए इस समझौते में दोनों राष्ट्रों ने यह स्वीकार किया कि भारत और श्रीलंका तट के 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका आर्थिक क्षेत्र होगा और जहाँ दोनों के बीच की दूरी 200 नॉटिकल मील से कम होगी वहाँ दोनो के बीच की रेखा सीमा रेखा होगी।

**द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का दौर :-**

1983 से भारत-श्रीलंका सम्बन्ध गुणात्मक रूप से विभिन्न दौर में प्रवेश कर गया। इस अवधि में श्रीलंका की जातीय समस्या ने भारत एवं श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को बहुत अधिक प्रभावित किया। श्रीलंका में तमिल जाति एवं सिंहली जाति के बीच के आपसी सम्बन्ध एक लम्बे समय से पारस्परिक वैमनस्य एवं अवश्विावस से प्रेरित रहाहै। श्रीलंका के राजनीतिक व्यवस्था पर मुख्यतः सिंहली जाति का प्रभुत्व रहा है। तमिलों ने सिंहली जाति पर भेदभाव की नीति का आरोप लगाया है।

**श्रीलंका सरकार द्वारा जाफना में की गई सैनिक कार्यवाही:-**

तत्कालीन श्रीलंका की सरकार द्वारा जाफना प्रायद्विप में रहनेवाले लाखों तमिलों पर की गई सैनिक कार्यवाही ने भारत की चिन्ताएं बहुत अधिक बढ़ा दी। भारत ने श्रीलंका के इस कदम का पुरजोर विरोध किया और 30 जून, 1984 ई0 को भारत की यात्रा पर आये श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने को भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की नीति श्रीलंका के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नहीं है और वह श्रीलंका के अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध भी है किन्तु इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र खोजा जाना चाहिए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। परन्तु इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका। परिणामतः दोनों राष्ट्रों मे तमिल समस्या के कारण तनाव बना रहा।

**संबंधों मे सुधार :-**

(1) **द्विपपक्षीय समझौता, 15 जनवरी 1986 -** 31 अक्तूबर, 1984 ई0 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गये। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष श्रीलंका की तमिल समस्या का समाधान एक मुख्य प्रश्न था। 3, जून 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में इस समस्या के समाधान की दिशा में बातचीत भी हुई किन्तु कोई सार्थक परिणाम नही निकल सका। पुनः 15 जनवरी, 1986 ई0 को दोनो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि श्रीलंका की सरकार लगभग 90,000 तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। इस प्रकार यह समस्या समाधान तो हो गया लेकिन श्रीलंका के तमिलों की स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग पूर्ववत् बनीं रही। परिणामस्वरूप श्रीलंका के तमिल बहुल प्रान्तों विशेषकर जाफना में श्रीलंका की सेना और तमिल

www.ignited.in

पृथकतावादी संगठनों के बीच सशस्त्र संघर्ष भी हुए। जिसमें भारी संख्या में तमिल लोग हताहत हुए। भारत सरकार ने श्रीलंका के इस कदम का विरोध किया और हमले में हताहत हुए लोगों के लिए राहत सामग्री भेजने का निश्चय भी किया।

(2) **भारत-श्रीलंका समझौता 1987 -** भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जयवर्द्धने के बीच कोलंबों में 29-30 जुलाई, 1987 को एक समझौता हुआ। जिससे श्रीलंका में वर्षों से चली आ रही तमिल समस्या का समाधान होने की आशा उत्पन्न होने लगी। श्रीलंका में दशकों से चली आ रही जातीय संघर्ष और हिंसा को समाप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। जिसके तहत तमिल भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान करना और उत्तर-पूर्वी प्रान्त में युद्ध विराम एक महत्वपूर्ण पहलू थे। नवम्बर, 1987 में इस समझौते के तहत श्रीलंका के संविधान में संशोधन भी किया गया और उत्तर तथा पूर्वी प्रान्तों की स्वायत्ता और प्रान्तीयपरिषदों का प्रावधान किया गया।

**आईपीकेएफ (भारतीय शांति सेना):-**

उपरोक्त समझौते के प्रावधानानुसार भारत सरकार ने इण्डियन पीस कीपिंग फोर्स, आईपीकेएफ यानि भारतीय शांति सेना श्रीलंका के उत्तरी भाग में शांति स्थापना के लिए भेजी। भारत का यह प्रयास था कि तमिल स्वायत्ता से संतुष्ट हो जाए और पृथक तमिल राज्य की मांग छोड़ दे। एक तरफ तमिलों ने भारत के इस कदम की भत्र्सना की और दूसरी तरफ सिंहली उग्रवादी संगठन जनता विमुक्ति पेरानमुना ने भारतीय शांति सेना की उपस्थिति को श्रीलंका के आन्तरिक मामलों में भारत का अनुचित हस्तक्षेप कहा। उल्लेखनीय है कि 1987 में हुए समझौते को सबसे बड़े सशस्त्र तमिल गुट 'लिबरेशन टाइगर ऑफ़ तमिल ईलम'(एल.टी.टी.ई.) ने कभी स्वीकार नहीं किया था। इसलिए भारतीय शांति सेना और एल.टी.टी.ई. के बीच सशस्त्र संघर्ष होते रहे।

**निष्कर्ष :-**

अध्ययनोपरान्त, यह कहा जा सकता है कि श्रीलंका में भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों के कारण उठनेवाली समस्याओं के समाधान के लिए तत्कालीन भारत और श्रीलंका की सरकार निरतंर कोशिश करते रहे। बावजूद इस समस्या का निराकरण नहीं हो सका। हालांकि, प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका से समझौते के अनुरूप कतिपय प्रयास भी किए गये। जिसमें भारतीय शांति सेना को श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रान्तों में भेजकर तमिल उग्रवादी संगठन एलटीटीई की तमिल राज्य की मांग को दबाने का प्रयास प्रमुख रूप से था। किन्तु, भारत का यह प्रयास सफल नहीं हो सकाऔर श्रीलंका उत्तरोत्तर जातीय संघर्ष और गृहयुद्ध में घिरता गया। तत्कालीन भारत सरकार के इस प्रयास से श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक अखंडता यथावत् बनीं रही, किन्तु 21 मई, 1991 ई0 को तमिल उग्रवादी संगठन एलटीटीई (लिट्टे) के आत्मघाती हमले में प्रधानमंत्री राजवी गांधी की दर्दनाक मौत हो गई।

**संदर्भ सूची:-**

1. मूर्ति, वी. के. एवं शर्मा, डी. (1981): राजीव गांधी चैलेन्जेज एण्ड च्वायसेस.
2. राजीव गांधी वल्र्ड व्यू, 1988.
3. आलेख, SJASR 2018, वॉल्यूम 1:3, द श्रीलंकन रोल इन द सायनो-इण्डियन इंटिग्रेशन.
4. बहादुर, बी.एच. (1987): राजीव गांधी- मैन द डेस्टिनी.

**Corresponding Author**

**Dr. Somesh Gunjan***

(M.A., PhD, Subject-Political Science) L.N.M.U. Darbhanga, Bihar